रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1973/आषाढ़ 2, 1895

No. 150] **NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1973/ASADHA 2, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 23rd *June* 1973

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962, namely:—

In the said notification, the following paragraph shall be inserted at the end, namely—

"2. Nothing contained in this notification shall apply to—

(a) Spindle HVI oils;

(b) Spindle LVI oils;

(c) BOC lub 50;

(d) Transformer oil base stock, or Transformer oil feed stock used for purposes other than the manufacture of transformer oil".

[No. 140/73.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 23 जून, 1973

सा० का० नि० 322 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/62—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 अप्रैल 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, अन्त में निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2—इस अधिसूचना में की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी —

(क) स्पिनडल एच वी आई तेल ;

(ख) स्पिन्डल एल वी आई तेल ;

(ग) बी ओ सी ल्नेहक 50;

(घ) ट्रान्सफार्मर तेल आधार स्टाक या ट्रान्सफार्मर तेल प्रदाय स्टाक जो ट्रान्सफार्मर तेल के विनिर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।"

[सं० 140/73]

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts the mineral oils specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under item No. 8 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the Table.

TABLE

S. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
		(For Kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer)
1.	Spindle HVI oils	Rs. 146·90
2.	Spindle LVI oils	Rs. 109·60
3.	BOC Lub 50	Rs. 110·44

[No. 141/73]

सा० का० नि० 322 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944

का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 8 के अन्तर्गत आने वाले खनिज तेलों की उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
		(सेन्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर प्रति किलोलीटर)
1.	स्पिन्डल एच वी आई तेल	146.90 रु०
2.	स्पिन्डल एल वी आई तेल	109.60 रु०
3.	बी ओ सी स्नेहक 50	110.44 रु०

[सं० 141/73]

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely :—

In the said notification, in the Table, in S. No. 4, in column (2),—

(i) in items (a), after sub-item (iii), the following sub-items shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
" (iv) Spindle HVI oils		Rs. 590.85 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(v) Spindle LVI oils		Rs. 633.80 per kilolitre at fifteen degrees of centigrade thermometer." ;

(ii) In item (b), for the words "and Bauxite Solvent Oil", the words", Bauxite Solevent Oil, Spindle HVI Oils and Spindle LVI Oils" shall be substituted.

[No. 142/73]

K. VISWANATHAN, Under Secy.

सा० का० नि० 324 (अ).—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग)

की अधिसूचना संख्या 199/66–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 4 में, स्तम्भ (2) में,—

(i) मद (क) में, उपमद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपमदें अन्त: स्थापित की जाएंगी , अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
	"(iv) स्पिन्डल एच वी आई तेल	सेन्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 595.85 रु० प्रति किलोलीटर ।
	(v) स्पिन्डल एल वी आई तेल	सेन्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 633.80 रु० प्रति किलोलीटर ।" ;

(ii) मद (ख) में, "बौक्साइट विलेय तेल" शब्दों के स्थान पर "बौक्साइट विलेय तेल, स्पिन्डल एच वी आई तेल और स्पिन्डल एल वी आई तेल" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 142/73]

के० विश्वनाथन, अवर सचिव ।

ERRATA

In the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 97/73 dated the 16th March, 1973 published in the gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (i) under Issue No 63 dated the 16th March, 1973 as G.S.R. 172(E), the following corrections are to be made:—

(1) In the first line of item (i) *for* the word "proposed" *read* the word "processed".

(2) After clause (d) *read* "(e)" *for* "(c)".

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973